



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

दिनांक : 09.05.2023

पत्रांक : २१० २८०८ / २३

कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुये अधोलिखित विद्वानों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व या 30 जून, 2023 तक जो पहले हो के लिए स्वीकृति प्रदान की है -

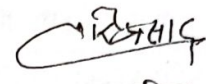
क्र०सं०	विभाग का नाम	वर्ग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वान
1	आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग के अन्तर्गत भाषा विज्ञान (ग्रीक/लैटिन)	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री मोहम्मद सालिम
2	ज्योतिष (खगोलशास्त्र एस्ट्रोनामी)	सामान्य वर्ग	श्री मधुसूदन तिवारी
3	तुलनात्मक धर्म दर्शन	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ० चन्द्रकला
4	न्याय वैशेषिक विभाग	अनुसूचित जाति सम्वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण	डॉ० शिवराम गंगोपाध्याय (सामान्य वर्ग) सेवानिवृत्त अध्यापक
5	पालि एवं थेरवाद (पालि विषय)	अनुसूचित जाति	श्री विश्वदत्त
6	पुराणेतिहास	सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण	हेमलता (सामान्य वर्ग) डॉ० रूपम पाठक (सामान्य वर्ग)
7	विज्ञान विभाग	अनुसूचित जाति सम्वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण	डॉ० शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी (सामान्य वर्ग)
8	वेदान्त विभाग (शांकर वेदान्त)	अनुसूचित जाति सम्वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण	श्री अनन्त कुमार पाण्डेय (सामान्य वर्ग)
9	रामानुज वेदान्त	अनुसूचित जाति सम्वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण	डॉ० श्यामाकान्त तिवारी (सामान्य वर्ग)
10	प्राचीन व्याकरण	अनुसूचित जाति सम्वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण	श्री श्रवणदास जी वैष्णव (सामान्य वर्ग)
11	नव्य व्याकरण	सामान्य वर्ग	श्री नवनीत कुमार तिवारी
12	नव्य व्याकरण	अति पिछड़ा वर्ग	श्री आत्मानन्द सरस्वती
13	नव्य व्याकरण	अनुसूचित जाति सम्वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण	श्री रविप्रकाश पाण्डेय (सामान्य वर्ग)
14	शिक्षाशास्त्र विभाग	अति पिछड़ा वर्ग	श्री जयप्रकाश
15	शिक्षाशास्त्र विभाग	अति पिछड़ा वर्ग	पुष्पा यादव

16	शिक्षाशास्त्र विभाग	आर्थिक रूप से कमजोर	श्री मनु मिश्र
17	ग्रंथालय विज्ञान विभाग	सामान्य वर्ग	श्री निधीश त्रिपाठी
18	सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग (शैवागम विषय)	सामान्य वर्ग	श्री विवेक कुमार उपाध्याय
19	आगम	आर्थिक रूप से कमजोर	डॉ० चन्द्रशेखर सिंह
20	योगतन्त्र	सामान्य वर्ग	अम्बति लक्ष्मणराव शास्त्री
21	सामाजिक विज्ञान विभाग के अन्तर्गत प्राचीन इतिहास विषय	आर्थिक रूप से कमजोर	श्री विपिन चन्द सिंह
22	प्राचीन इतिहास पुरातत्व (इपीग्राफी)	अनुसूचित जाति	श्री सूर्यकान्तमणि
23	साहित्य विभाग (साहित्य विषय)	अन्य पिछड़ा वर्ग	श्री देवेन्द्र कुमार यादव
24	साहित्य विभाग (साहित्य विषय)	अनुसूचित जाति सम्वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण	डॉ० श्रीभाष्यम पाण्डेय (सामान्य वर्ग)

अतिथि व्याख्यान हेतु उपरोक्त विद्वानों के पैन्ल में से आवश्यकतानुसार सत्र 2022-23 के लिये 400/- (चार सौ) प्रति व्याख्यान जो प्रति माह 15000/- (पन्द्रह हजार) से अधिक न हो के मानदेय पर अतिथि व्याख्याता के रूप में आमन्त्रित किया जाता है। अतिथि व्याख्याता स्थायी हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। कभी भी बिना सूचना के हटाया जा सकता है। उक्त चयनित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ-पत्र अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (बिल) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर मुख्य सचिव, मा० कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस आशय से कि अपने विभाग से सम्बन्धित विद्वानों को आवश्यकतानुसार आमन्त्रित कर, अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5. परीक्षा नियंत्रक
6. सम्बन्धित अतिथि व्याख्यातागण।
7. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)।
8. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
9. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
10. जनसम्पर्क अधिकारी।
11. सम्बद्ध पत्रावली।


कुलसचिव



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्राङ्क : सा. 2347/2023

दिनाङ्क : 01.03.2023

कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुये अधोलिखित विद्वानों-को उनके नाम के सम्मुख अर्कित विभागों में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व या 31 मई, 2023 तक जो पहले हो के लिए स्वीकृति प्रदान की है -

क्र.सं.	विभाग का नाम	वर्ग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वान
01.	वेद विभाग	अनारक्षित	श्री अनन्तेश्वर कुमार मिश्र ✓
02.	धर्मशास्त्र विभाग	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. जगदम्बिका प्रसाद गिरि ✓
03.	साहित्य विभाग	अनारक्षित	डॉ. बालेश्वर झा ✓
04.	साहित्य विभाग	अन्य पिछड़ा वर्ग	सुश्री भागमनी यादव ✓
05.	साहित्य विभाग (संगीत विभाग- गायन)	अनारक्षित	डॉ. श्रुति शाश्वत उपाध्याय ✓
06.	साहित्य विभाग (संगीत विभाग- सितार)	अनारक्षित	डॉ. शैल पाण्डेय ✓
07.	साहित्य विभाग (संगीत विभाग- तबला)	अनुसूचित जाति	श्री प्रशान्त कुमार ✓
08.	पुराणेतिहास विभाग	अनारक्षित	सुश्री अर्पिता मिश्रा ✓
09.	पुराणेतिहास विभाग	अन्य पिछड़ा वर्ग	सुश्री श्रद्धा ✓
10.	प्राचीन राजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग	अनारक्षित	श्री अखतेश कुमार ✓
11.	शिक्षाशास्त्र विभाग	अनुसूचित जाति	डॉ. सत्यप्रकाश सोनकर ✓
12.	शिक्षाशास्त्र विभाग	अनुसूचित जाति	श्री अरविन्द कुमार चौधरी ✓
13.	शिक्षाशास्त्र विभाग	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. कृष्ण कुमार ✓
14.	पालि विभाग	अनारक्षित	डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव ✓
15.	जैन दर्शन विभाग	अनुसूचित जाति	श्री श्रवण कुमार ✓
16.	संस्कृत विद्या विभाग	अनारक्षित	डॉ. देवात्मा दूबे ✓
17.	संस्कृत विद्या विभाग	अन्य पिछड़ा वर्ग	डॉ. शिल्पी गुप्ता ✓
18.	संस्कृत विद्या विभाग	अनुसूचित जाति	डॉ. जसवीर आर्य ✓
19.	आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (फ्रेंच)	अनारक्षित	डॉ. अनिल कुमार चतुर्वेदी ✓
20.	आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (हिन्दी)	अनारक्षित	सुश्री पूजा यादव ✓

अतिथि व्याख्यान हेतु उपरोक्त विद्वानों के पैनल में से आवश्यकतानुसार सत्र 2022-23 के लिये ₹ 400/- (चार सौ) प्रति व्याख्यान जो प्रति माह ₹ 15000/- (पन्द्रह हजार) से अधिक न हो के मानदेय पर अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अतिथि व्याख्याता स्थायी हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। कभी भी बिना सूचना के हटाया जा सकता है। उक्त चयनित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ-पत्र अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।



पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

दिनांक : 08.04.2023

पत्रांक : कु.सं. 5346/2023

कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुये अधोलिखित विद्वानों-को उनके नाम के सम्मुख अर्कित विभागों में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व या 31 मई, 2023 तक जो पहले हो के लिए स्वीकृति प्रदान की है -

क्र.सं.	विभाग का नाम	वर्ग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वान
01.	आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (अंग्रेजी)	अनारक्षित	श्री शैलेश प्रताप सिंह
02.	आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (अंग्रेजी)	अति पिछड़ा वर्ग	श्री आशुतोष प्रताप
03.	आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (जर्मन)	अनारक्षित	श्री राजेश कुमार जायसवाल
04.	आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (नेपाली)	अनारक्षित	डॉ. अमित थापा
05.	आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (तिब्बती)	अनारक्षित	श्री पशांग डोलकर गुवांग
06.	आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग (भाषा विज्ञान)	अनुसूचित जाति	डॉ. सोहन कुमार

अतिथि व्याख्यान हेतु उपरोक्त विद्वानों के पैनल में से आवश्यकतानुसार सत्र 2022-23 के लिये ₹ 400/- (चार सौ) प्रति व्याख्यान जो प्रति माह ₹ 15000/- (पन्द्रह हजार) से अधिक न हो के मानदेय पर अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अतिथि व्याख्याता स्थायी हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। कभी भी बिना सूचना के हटाया जा सकता है। उक्त चयनित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ-पत्र अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (बिल) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

28/4/23
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग को इस आशय से कि अपने विभाग से सम्बन्धित विद्वानों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर, अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. परीक्षा नियंत्रक
4. सम्बन्धित अतिथि व्याख्यातागण।
5. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)।
6. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
8. जनसम्पर्क अधिकारी।
9. सम्बद्ध मन्त्राली।

28/4/23
कुलसचिव



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

दिनांक : 10-05-2023

क्र. : मा. 2815/2023

कार्यालय-ज्ञाप

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा को दृष्टि में रखते हुये अधोलिखित विद्वानों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा विज्ञापित पदों के चयन के पूर्व या 30 जून, 2023 तक जो पहले हो के लिए स्वीकृति प्रदान की है -

क्र०सं०	विभाग का नाम	वर्ग	अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रित विद्वान
1	ज्योतिष-सिद्धांत	आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण	डॉ. गोपाल पाठक कारखेदकर

अतिथि व्याख्यान हेतु उपरोक्त विद्वान के पैनल में से आवश्यकतानुसार सत्र 2022-23 के लिये 400/- (चार सौ) प्रति व्याख्यान जो प्रति माह 15000/- (पन्द्रह हजार) से अधिक न हो के मानदेय पर अतिथि व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अतिथि व्याख्याता स्थायी हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। कभी भी बिना सूचना के हटाया जा सकता है। उक्त चयनित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ-पत्र अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रति माह के मानदेय प्राप्यक (बिल) विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

इस पर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त है।

26/10/23
कुलसचिव
er

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को इस आशय से कि अपने विभाग से सम्बन्धित विद्वानों को आवश्यकतानुसार आमन्त्रित कर, अध्ययन अध्यापन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. परीक्षा नियंत्रक
4. सम्बन्धित अतिथि व्याख्यातागण।
5. सहायक कुलसचिव (प्रशासन)।
6. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
7. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
8. जनसम्पर्क अधिकारी।
9. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव